	भारतीय मानक ब्यूरो **(उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार)** **पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय** **(4 वीं मंजिल से 8 वीं मंजिक) प्लॉट नंबर 7/7,7/8, सीपी ब्लॉक, सेक्टर-V, सॉल्ट लेक,(नबदिगंता बस स्टेशन के सामने, सेक्टर-V, सॉल्ट लेक, कोलकता)** **पश्चिम बंगाल -700091** **ई-मेल-qscoero@bis.gov.in , फोन-033-23670014**	

विज्ञापन सं. 02 (वाईपी)/2024/ईआरओ

01. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सांविधिक और भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। यह देश में मानकीकरण, उत्पाद एवं पद्धति प्रमाणन, स्वर्ण/चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग एवं प्रयोगशाला परीक्षण इत्यादि गतिविधियां संचालित करता है।

02. बीआईएस ऐसे भारतीय नागरिकों को 2 वर्ष के अनुबंध आधार पर पूर्वी क्षेत्र में प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन गतिविधियों के लिए यंग प्रोफेशनलों के रूप में बीआईएस के साथ काम करने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है, जो प्रमाणित शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक उपलब्धि, कम्पयूटर पर टेक्नॉलजी आधारित कौशल की अच्छी कार्यकारी जानकारी तथा प्रबल संवाद एवं पारस्परिक कौशल और नेतृत्व की योग्यता रखते हों। विज्ञापन का विवरण निम्नलिखित है:

क्रम संख्या	गतिविधि	शैक्षणिक आहर्ता	प्राप्तांक/सीजीपीए की न्यूनतम प्रतिशत	पदों की संख्या	कार्य अनुभव*	अधिकतम आयु सीमा	पारिश्रमिक
01	पूर्वी क्षेत्र में प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन गतिविधियों के लिए	**अनिवार्य:** 10वीं एवं 12वीं कक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में नियमित स्नातक / इंजीनियरिंग में डिप्लोमा / बीई / बी-टेक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विपणन / बिक्री में नियमित एमबीए या समकक्ष।	60% 60%	04	**कार्य अनुभव -** विपणन या समकक्ष क्षेत्रों में न्यूनतम तीन (3) वर्ष का अनुभव (अधिमानतः प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन के साथ दक्ष)	15.07.2024 को 35 वर्ष की आयु	₹70,000/- प्रति माह (नियुक्ति होने की तारीख से दो साल के लिए निर्धारित)

*दस्तावेजी प्रमाणपत्र आवश्यक है।

03. **कार्य का स्थानः** यंग प्रोफेशनलों को भारतीय मानक ब्यूरो, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता में तैनात किया जाएगा और उन्हे आसाम, झारखंड , छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, सिलीगुड़ी या पूरे भारत की लगातार यात्रा की आवश्यकता होगी।

04. **चयन प्रक्रियाः** सभी प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी और उन्हें सूचीबदध किया जाएगा। उम्मीदवारों को उनकी योग्यता, अनुभव और आवेदन पत्र में दिए गए अन्य विवरणों के आलोक में सूचीबद्ध किया जाएगा। केवल योग्यता पूरी करने तथा सूचीबद्ध हो जाने से यंग प्रोफोशनलों के रूप में नियुक्त हो जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। सूचीबद्ध उम्मीदवारों को व्यावहारिक मूल्यांकन, लिखित मूल्यांकन, तकनीकी ज्ञान मूल्यांकन, साक्षात्कार इत्यादि के लिए बुलाया जाएगा। बीआईएस के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

05. **नियुक्ति की अवधि:** नियुक्ति पूर्णतया संविदा आधार पर शामिल होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए है।

06. **नियुक्ति की प्रकृति:** नियुक्ति पूरी तरह से अनुबंध के आधार पर है और यह अनुबंध अवधि के अंत में निरस्तीकरण के अधीन होगी।

07. **पारिश्रमिक:** यंग प्रॉफेशनल को दो साल के लिए निर्धारित 70,000/- रुपये (सत्तर हजार रुपये मात्र) का समेकित मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। पारिश्रमिक वैधानिक कटौती के अधीन है।

08. **टीए/डीए:** असाइनमेंट में ज्वाइन होने या उसके पूरा होने पर कोई टीए डीए स्वीकार्य नहीं होगा। यदि आधिकारिक असाइनमेंट के सबंध में यात्रा करने और रहने की आवश्यकता होती है, तो टीए/डीए और आवास भत्ता, जैसा कि ग्रुप ए यानि कि सहायक निदेशक/वैज्ञानिक-बी स्तर के नियमित बीआईएस अधिकारी को स्वीकार्य है, का भुगतान यंग प्रोफेशनल को किया जाएगा।

09. **छुट्टी:** युवा पेशेवर एक कैलेंडर वर्ष में बारह (12) दिनों की छुट्टी के लिए पात्र होंगे। स्वीकार्य छुट्टी से अधिक अनुपस्थिति की अवधि के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, बिना लाभ वाली छुट्टी को न तो अगले साल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा और न ही नकदीकृत किया जाएगा।

10. **कार्यालयीन समय:** यंग प्रॉफेशनल को निर्धारित (अर्थात सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक) कार्यालय के सामान्य कामकाजी घटों का पालन करना होगा। तथापि, अत्यावश्यकता के अनुसार समयबद्ध कार्य या आउटस्टेशन कार्यों को पूरा करने के लिए देर से बैठना पड़ सकता है। उपस्थिति बायोमैट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से दर्ज होगी।

11. **कोई अन्य असाइनमेंट नहीं :** नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर है और यंग प्रॉफेशनल बीआईएस में नियुक्ति की अवधि के दौरान कोई अन्य कार्य नहीं करेंगे।

12. **यात्रा, चिकित्सा, उपचार और सेवा के दौरान मृत्यु अथवा बीमारी:** अनुबंध की शर्तों के तहत बीआईएस की ओर से सेवाओं के निष्पादन से संबंधित, और/अथवा अनुबंध के तहत बीआईएस या भारत सरकार के किसी कार्यालय या परिसर में आधिकारिक डयूटी या किसी सेवा का निष्पादन करते हुए किसी यंग प्रोफशनेल की मृत्यु, क्षति या बीमारी की स्थिति में वह यंग प्रोफेशनल या उस यंग प्रॉफेशनल के आश्रित, जैसा भी उपयुक्त हो, किसी भी क्षतिपूर्ति या किसी भी दावे के हकदार नहीं होंगे।

13. **मेडिकल फिटनेस और पुलिस सत्यापन:** यंग प्रॉफेशनल की नियुक्ति के बाद पुलिस सत्यापन किया जाएगा। यंग प्रॉफेशनल को नियुक्ति के समय किसी प्राधिकृत/पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा।

14. **अनुबंध / नियुक्ति की समाप्तिः** यंग प्रॉफेशनल की नियुक्ति को बीआईएस दवारा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए उन्हें 30 दिनों का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। हालाँकि यदि अधिकारी इस्तीफा देना चाहता है तो उसे पद से इस्तीफा देने से पहले 30 दिनों का अग्रिम नोटिस या उसके एवज में पारिश्रमिक वापिस करनी होगी।

15. **डेटा और दस्तावेजों की गोपनीयताः**

(क) बीआईएस के लिए एकत्र किए गए डेटा के साथ-साथ डिलिवरेबल्स के बौद्धिक संपदा अधिकार बीआईएस के पास रहेंगे।

(ख) बीआईएस में अपने असाइनमेंट के लिए एकत्र की गई जानकारी डेटा या सांख्यिकीय या कार्यवाही के किसी भी हिस्से का उपयोग या प्रकाशन न किया जाए या किसी तृतीय पक्ष को उसका खुलासा न किया जाए।

(ग) यंग प्रॉफेशनल अनुबंध की समाप्ति से पहले या अंतिम भुगतान जारी होने से पहले असाइनमेंट के रिकॉर्ड के पूरे सेट को बीआईएस को सौंपने के लिए बाध्य है।

(घ) यंग प्रॉफेशनल की नौकरी गोपनीय रूप से उच्चतम मानकों की मांग करती है और सभी स्तरों पर अधिकारी के सभी कार्यों में इसे बनाए रखने की अपेक्षा है।

16. **हितों का टकराव:** नियुक्त यंग प्रॉफेशनल किसी भी मामले में बीआईएस के हितों के विपरीत किसी भी मामले में दूसरों का प्रतिनिधित्व या राय या सलाह नहीं देंगे।

17. **सामान्य अनुदेश एवं नियम और शर्तें:**

i) अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि यदि नियुक्ति के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थियों ने कोई झूठी / मनगढ़त जानकारी/दस्तावेज जमा किए हैं तो उनकी उम्मीदवारी तुरत रद्द कर दी जाएगी और वह कानून/ नियमों के अनुसार कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

ii) अभ्यर्थियों के पास एक वैध ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसे आवेदन पत्र में उपयुक्त स्थान पर दर्ज किया जाना चाहिए और भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक सक्रिय/वैध रहना चाहिए। एक बार सबमिट करने के बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नबर में कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। गलत या समाप्त ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होगा।

iii) अभ्यर्थी ध्यान दें कि नियुक्ति के सभी चरणों में उनकी उम्मीदवारी पूरी तरह से अनुबंध के आधार पर है।

iv) किसी भूल-चूक/विचलन की स्थिति में ब्यूरो यथा परिस्थिति अधिसूचित रिक्तियों और इस विज्ञापन के किसी प्रावधान में संशोधन/परिवर्तन अथवा विज्ञापन एवं अनुबंध को रदद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

v) चेतावनी: ब्यूरो में चयन स्वतंत्र, निष्पक्ष और योग्यता आधारित है। किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास सेवा से अभ्यर्थिता की समाप्ति के लिए उत्तरदायी होगा और सबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

vi) नियुक्ति की प्रक्रिया सहित इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद कोलकाता में स्थित न्यायालयों के एकमात्र अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

18. आवेदन पत्र जमा करना: अभ्यर्थियों को केवल बीआईएस वेबसाइट यानी https://www.services.bis.gov.in/php/BIS 2.0/login के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक होगा। रोजगार समाचार/एम्प्लोयमेंट न्यूज़ में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि **16.06.2024;0000h** घंटे से आवेदन जमा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ कर दिया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि **15.07.2024; 2400 h** घंटे तक होगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन जमा करने का कोई अन्य माध्यम/तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। **समय सीमा के बाद प्राप्त या किसी तकनीकी खराबी के कारण प्राप्त न होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।**

19. **आवेदन शुल्कः** आवेदक को किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

20. **घोषणाएं:** इस प्रक्रिया से संबंधित आगे की सभी घोषणाएं/विवरण समय-समय पर केवल बीआईएस की वेबसाइट www.bis.gov.in पर ही प्रकाशित/उपलब्ध कराए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विवरण और जानकारी के लिए नियमित रूप से अधिकृत बीआईएस वेबसाइट www.bis.gov.in के संपर्क में रहे। किसी भी प्रश्न पूछताछ के मामले में कृपया qscoero@bis gov.in पर लिखें।

प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन अधिकारी
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय
ईमेल: qscoero@bis.gov.in

नोटः **बीआईएस बिना कोई कारण बताए प्रक्रिया और/रद्द/पुनर्निर्धारित/या आवश्यकताओं को संशोधित/ निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बीआईएस का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।**